<u>विशेष सत्र(एट्रो०) प्र०क्र०–55/2022 (छ०ग०राज्य विरूद्ध अजय कश्यप)</u>

Witness No—**02** –––for––**अभियोजन साक्ष्य**––––––Deposition taken on the–**30–07–2025**–day of –**बुधवार**––Witness's apparent age–**21**–yrs States on affirmation––**शपथपूर्वक––**My name is–**दीपक कुमार सिंह**–––– S./D./W. of–––श्री राजेन्द्र प्रसाद––––Occupation––––कृषि––––––– Address––**पता ग्राम देवटिकरा थाना–उदयपुर, जिला–सरगुजा छ०ग०**

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री नितेश चन्द्र शुक्ला, विशेष लोक अभियोजक।

1– मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी अजय कश्यप को जानता हूँ। पीड़िता मेरी दीदी है।

2– घटना दिनांक 14.08.2022 को रात 12–12.30 बजे की है। मैं और मेरा भाई एक कमरे में सोये थे, तब बगलवाले कमरे से अचानक दीदी के चिल्लाने की आवाज आई,तब हम लोग भाग कर दीदी के कमरे तरफ गये। आरोपी हम लोगों के आने की आवाज सुनकर सीढ़ी के उपर से छत तरफ गया और कूदकर भाग गया। दीदी हम लोगों को बताई की आरोपी उसके कमरे में घुसकर उसे हाथ लगा रहा था तथा अश्लील हरकत छेड़छाड़ कर रहा था, तब दीदी 112 नंबर में फोन की थी। अगले दिन हम लोग थाना गांधीनगर में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराये थे। पुलिसवाले मेरे समक्ष मेरी दीदी का जाति प्रमाण पत्र जप्त किये थे। जप्ती पत्रक **प्र०पी०–05** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरी दीदी मुझे बताई थी कि जब मैं ठाकुरपुर में रहती थी, तब भी आरोपी दीदी के साथ छेड़छाड़ किया था।

<u>/प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आर०के० कश्यप अधिवक्ता, वास्ते अभियुक्त/</u>

3– यह कहना सही है कि मैं अपनी दीदी के साथ पिछले दो–तीन साल से रह रहा हूँ। यह कहना सही है कि घटना जिस दिन हुई थी, उस दिन मैं भी घर में था। यह कहना सही है कि मैं आरोपी को दीदी के साथ छेड़छाड़ करते नहीं देखा हूँ, हम लोग कमरे में

आये तो आरोपी छत के रास्ते से भाग रहा था, छेड़छाड़वाली बात मुझे दीदी बताई थी। यह कहना गलत है कि आरोपी के भागने की बात भी पीड़िता मुझे बताई थी । साक्षी स्वतः कहता है कि मैं आरोपी को भागते हुये देखा था। यह कहना गलत है कि आरोपी घर में मुख्य दरवाजे से आया था। साक्षी स्वतः कहता है कि घर में प्लास्टर चल रहा था, जिसमें बांस लगा हुआ था, उस बांस के सहारे चढ़कर घर के अंदर घुसा था और भागते समय जो रस्सी बंधी हुई थी, उसी के सहारे कूद गया था।

4– यह कहना गलत है कि घटना रात के समय की है, इसलिये मैं आरोपी को भागते हुये नहीं देखा था, मैं अंदाज से बता रहा हूॅ कि आरोपी भाग रहा था। साक्षी स्वतः कहता है कि मैं आरोपी को ही भागते हुये देखा था। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी भाग गया था, मैं उसे भागते हुये नहीं देखा हूँ। साक्षी स्वतः कहता है कि मैं आरोपी को भागते हुये देखा हूँ, मैं आरोपी को दौड़ाया भी था, किंतु आरोपी रस्सी के सहारे कूदकर भाग गया था। यह कहना गलत है कि मैं घटना नहीं देखा हूँ,पीड़िता के बताये अनुसार आज न्यायालय में बयान दे रहा हूँ। अब साक्षी कहता है कि आरोपी आज भी अलग–अलग नंबरों से पीड़िता को फोन करके धमकी देता है और गंदी–गंदी गाली देता है, मैं खुद भी कई बार फोन पर सुना हूं। मैं आज नहीं बता सकता कि आरोपी किन–किन नंबरों से फोन करता है। स्वतः कहता है कि हर बार अलग–अलग नंबरों से फोन करता है। यह कहना सही है कि आरोपी द्वारा फोन करके गाली–गलौज करने के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है।

गवाह को पढ़कर सुनाया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–
(अतुल कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज)
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ०ग०)

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

सही/–
(अतुल कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज)
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ०ग०)